नईदुनिया

पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को दो वर्ष का कारावास

अवैध राजनीतिक वित्तपोषण मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

सियोल, एजेंसी: दक्षिण कोरिया की सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को अवैध राजनीतिक वित्तपोषण मामले में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के अनुसार, यून सुक-योल ने एक राजनीतिक बिचौलिए से लगभग 27 करोड़ वॉन मूल्य की 14 चरणों की जनमत सर्वेक्षण सेवाएं बिना भुगतान प्राप्त की थीं। इसके बाद उन्होंने कथित रूप से उस बिचौलिए का प्रतिदान करने के लिए एक पूर्व सांसद के नामांकन को प्रभावित किया। 65 वर्षीय यून सुक-योल वर्तमान में आठ अलग-अलग कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। वह वर्ष 2024 में मार्शल लॉ लागू करने से जुड़े कथित विद्रोह प्रकरण में फरवरी में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपील भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी में बाधा डालने के मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा को भी अंतिम रूप दे दिया था।

ट्रेन में रुपए लेकर सीट आवंटित करना गंभीर समस्या

हाईकोर्ट ने कहा- ऐसी प्रवृत्ति से रेलगाड़ियों में अपराध बढ़ते हैं

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलगाड़ियों में धन लेकर खाली शयनस्थल उपलब्ध कराने वाले टिकट निरीक्षकों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए रेलवे को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि टिकट निरीक्षक खाली शयनस्थल ऐसे बेचते हैं, जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। इसी कारण रेलगाड़ियों में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की पीठ वर्ष 2009 में तीस्ता-तोरसा रेलगाड़ी में हुई लूट और एक यात्री की मृत्यु से जुड़े मामले में दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि धन लेकर सामान्य टिकट वाले यात्रियों को खाली शयनस्थल देने से अपराधियों को यात्रियों तक पहुंचने का अवसर मिल जाता है।

अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यात्रा के दौरान एक नहीं, बल्कि कई टिकट निरीक्षकों ने अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया।

मामले के अनुसार, 23 फरवरी 2009 को न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा रेलगाड़ी में दो यात्री सामान्य टिकट पर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने धन देकर एक डिब्बे में खाली शयनस्थल प्राप्त किया। यात्रा के दौरान दो व्यक्तियों ने उनसे मित्रता कर खाने-पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें अचेत कर दिया और उनका सामान लूट लिया। इस घटना में एक यात्री की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा उपचार के बाद बच गया।

न्यायालय ने पुलिस जांच में कई गंभीर कमियां भी बताईं। मृतक के आंतरिक परीक्षण के नमूनों की न्यायालयिक वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई तथा दूसरे यात्री के चिकित्सीय अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इन कमियों के कारण हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी की धाराओं में दी गई सजा निरस्त कर दी, जबकि नशीला पदार्थ देने के अपराध में सजा बरकरार रखते हुए आदेश की प्रति रेलवे अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए।

खास-खबरें

गोवध रोक संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद सहित किसी भी दिन राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि आदेश में सुधार की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रचलित कानून निर्धारित श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी कर आगे की सुनवाई तय की है।

यूक्रेन की सरकार ने दिया सामूहिक इस्तीफा

कीव, एजेंसी: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीदेंको को एक वर्ष के कार्यकाल के बाद बदलने का निर्णय लिया है। उनकी घोषणा के बाद यूक्रेन के कानून के अनुसार पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नया प्रधानमंत्री कौन होगा और यूलिया स्विरीदेंको को कौन-सी नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें अमेरिका में यूक्रेन का अगला राजदूत बनाए जाने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष नेतृत्व में भी परिवर्तन किए जाएंगे। यूक्रेन के कानून के अनुसार प्रधानमंत्री का इस्तीफा संसद की स्वीकृति के बाद प्रभावी होता है, जिसके साथ पूरी सरकार भंग हो जाती है और नए मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया आरंभ होती है। नए प्रधानमंत्री के लिए कई नाम चर्चा में हैं।

अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के वर्ष 2020 के दंगा प्रकरण में गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा न्यायालय ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने हत्या, अपहरण, वैमनस्य फैलाने तथा दंगा करने के आरोपों में ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी ठहराया, जबकि छह आरोपियों को बरी कर दिया। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी 2020 को चांदबाग क्षेत्र के नाले से बरामद हुआ था।

जापानी राजनयिक को तलब कर दर्ज कराया विरोध, समुद्री दावों पर दोहराया अपना रुख

दक्षिण चीन सागर विवाद पर अमेरिका और जापान सहित 14 देशों के बयान से नाराज चीन

बीजिंग, एजेंसी: दक्षिण चीन सागर पर वर्ष 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निर्णय की दसवीं वर्षगांठ पर जापान सहित 14 देशों द्वारा चीन के समुद्री दावों को खारिज किए जाने के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजिंग ने रविवार को जापान के दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया और कहा कि दक्षिण चीन सागर पर उसकी संप्रभुता और अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फिलीपींस, कनाडा, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड सहित कुल 14 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर 12 जुलाई 2016 को हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम तथा विधिक रूप से बाध्यकारी बताया। संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की तथाकथित 'नौ-रेखा' समुद्री सीमा संबंधी दावेदारी का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के अंतर्गत कोई विधिक आधार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जापान पर क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने तथा दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता को प्रभावित करने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने कहा कि जापान इस विवाद का पक्षकार नहीं है और उसे इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि वर्ष 2016 के मध्यस्थता निर्णय को अस्वीकार करना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन की भावना के विपरीत है। चीन ने इस टिप्पणी को भी अस्वीकार करते हुए जापान पर ऐतिहासिक विस्तारवादी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। इस बीच 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने भी वर्ष 2016 के निर्णय को विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। चीन ने यूरोपीय संघ की इस टिप्पणी पर भी आपत्ति दर्ज कराई।

चीन लगातार वर्ष 2016 के मध्यस्थता निर्णय को अवैध, अमान्य और बाध्यकारी नहीं मानता है। उसका कहना है कि इस मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था तथा दक्षिण चीन सागर पर उसके ऐतिहासिक अधिकार आज भी यथावत हैं। दूसरी ओर, संयुक्त बयान जारी करने वाले देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री सीमाओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया है।

जेल में ही पद की शपथ लेंगे भाजपा पार्षद

नईदुनिया ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने निवारक हिरासत में बंद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षद सुगथन आर को जेल परिसर में ही पद की शपथ लेने की अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि केवल प्रक्रियागत कारणों से जनता के जनादेश को निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। यह आदेश तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वाझोट्टकोणम वार्ड से निर्वाचित पार्षद की याचिका पर दिया गया। सुगथन आर को केरल समाज विरोधी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत निवारक हिरासत में रखा गया है। राज्य के अभियोजन महानिदेशक ने न्यायालय को बताया कि उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद न्यायालय ने जेल में ही शपथ ग्रहण की अनुमति दी।

राममंदिर ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए भर्ती

नईदुनिया ब्यूरो, अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को छह वर्षों में पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए आवेदक का हिंदू होना, आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होना तथा स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई सायं चार बजे निर्धारित की गई है।

इधर, चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तथा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए विशेष जांच दल से अब तक की जांच की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन मांगा है। न्यायालय ने जांच अधिकारियों का विवरण देने तथा मामले से जुड़े दृश्यांकन उपकरणों के अभिलेख सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

उधर, अयोध्या पुलिस ने प्रकरण में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को दृश्य माध्यम से विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। इससे पहले पुलिस कुछ आरोपियों से अभिरक्षा में पूछताछ कर चुकी है। सभी आरोपियों को फैजाबाद कारागार में अलग-अलग बैरकों में रखा गया है।

मदरसा कर्मचारियों की वेतन याचिकाएं खारिज

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के 361 मदरसा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सरकारी वेतन दिए जाने संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उन्हें निरस्त किया जाता है। न्यायालय ने पहले 350 से अधिक याचिकाकर्ताओं में से 13 मामलों की जांच की। अदालत ने कहा कि यदि इन मामलों में किसी एक का दावा सही पाया जाता तो शेष मामलों पर भी विचार किया जाता, लेकिन कोई भी याचिकाकर्ता अपना दावा सिद्ध नहीं कर सका।

अमरनाथ यात्रा काफिले में चार वाहन टकराए, 18 श्रद्धालु घायल

नईदुनिया ब्यूरो, रामबन: *जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में सोमवार को अमरनाथ यात्रा के काफिले में शामिल चार वाहन आपस में टकरा गए। चंदरकोट के लंगर स्थल के पास हुई इस दुर्घटना में 18 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को रामबन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार, एक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ने आगे चल रही दूसरी बस को टक्कर मार दी। इसके बाद दूसरी बस एक कार से और कार आगे चल रही निजी बस से टकरा गई। घायलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब के श्रद्धालु शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।*

बांग्लादेश : वर्षा और बाढ़ से 51 की मौत

10 लाख से अधिक लोग प्रभावित, हजारों परिवारों ने राहत शिविरों में ली शरण

ढाका, एजेंसी: बांग्लादेश में लगातार हो रही भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा से 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है।

पिछले एक सप्ताह से जारी वर्षा के कारण देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिक नुकसान कॉक्स बाजार जिले में हुआ है, जहां अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी शिविर का भी केंद्र माना जाता है, जिससे राहत और बचाव कार्यों के सामने अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।

राजधानी ढाका में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर के कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है और यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है। लगातार जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय समाचार माध्यमों ने राजधानी की जल निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रीय स्मारक बनेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह स्मारक दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनाया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2025 में सरकार ने स्मारक निर्माण के लिए भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया था। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा लंबे समय तक सांसद रहे। उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व भी संभाला। वर्ष 2020 में उनका निधन हो गया था।

जैविक अवशेषों के निस्तारण की अनुमति

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के वर्ष 2025 के लाल किला विस्फोट प्रकरण में पटियाला हाउस न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच अभिकरण को मृतकों तथा मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी के घटनास्थल से प्राप्त जैविक अवशेषों के निस्तारण की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया मानव गरिमा तथा संबंधित धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हुए संपन्न की जाए। राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त के समक्ष कहा था कि इन जैविक अवशेषों को अब सुरक्षित रखे जाने का कोई औचित्य शेष नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने निस्तारण की अनुमति प्रदान कर दी।

सुनवाई *असम के 27 लोगों को राहत, उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त कर मामले दोबारा न्यायाधिकरण को भेजे...*

नागरिकता मामलों में निष्पक्ष प्रक्रिया अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित किए जाने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय निरस्त कर दिए।

न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता अथवा विदेशी होने का निर्णय केवल निष्पक्ष, विधिसम्मत और उचित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सभी मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए विदेशी न्यायाधिकरण के पास भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का प्रश्न संविधान तथा कानून से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस प्रकार के मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना आवश्यक है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने यह निर्णय नहीं दिया है कि अपीलकर्ता भारतीय नागरिक हैं अथवा नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावों, दस्तावेजों और साक्ष्यों की सत्यता अथवा पर्याप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इन सभी पहलुओं की जांच अब विदेशी न्यायाधिकरण करेगा और उसी के

आधार पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले पुनः न्यायाधिकरण को भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्तियों को भारतीय नागरिक मान लिया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी को विदेशी घोषित करने जैसा गंभीर निर्णय पूरी तरह विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया जाए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि विदेशी न्यायाधिकरण सभी मामलों की नए सिरे से स्वतंत्र सुनवाई करेगा। इस दौरान वह अपने पूर्व के आदेश अथवा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय देगा। उल्लेखनीय है कि विदेशी न्यायाधिकरण ने इन 27 लोगों को विदेशी घोषित किया था। इसके विरुद्ध उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय का कहना था कि संबंधित व्यक्तियों ने लगभग 23 वर्ष बाद चुनौती दी और नोटिस मिलने के बावजूद न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपनी नागरिकता के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा-9 प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है, तो अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध करने का दायित्व उसी संबंधित व्यक्ति पर रहेगा।